अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 198/2024

वादीगण–

1. राम अवतार पुत्र भुगानाराम जाति जागिड़ निवासी खिंयाला तहसील जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. तारचन्द जांगिड़ पुत्र भगवानराम
2. द्वारकाप्रसाद जांगिड़ पुत्र भगवानराम
3. बरजी देवी पत्नि भगवानराम
4. नर्बदा पुत्री भगवानराम
5. राजूदेवी पुत्री भगवानराम जातियान जांगिड़ निवासीगण–खिंयाला, तहसील–जायल, नागौर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री मुनीराम मालोदिया अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमाराम मेघवाल।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व मुनीराम मालोदिया अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमाराम मेघवाल प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खिंयाला में खेत खसरा नंबर 236 रकबा 4.4758 हैक्टैयर, खेत खसरा नंबर 256 रकबा 1.7159 हैक्टैयर भूमि के सहखातेदार के मध्य वादपत्र के पैरा संख्या 2 के अनुसार मुतदाविया भूमि बंटवाड़ा/विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य शपथपत्र एवं ईकबालिया जबाब अनुसार के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी रामअवतार जांगिड़ के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मोजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 236 रकबा 4.4758 हैक्टैयर में से रकबा 2.0639 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार उतरी दिशा में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 तारचन्द जांगिड़ के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मोजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 236 रकबा 4.4758 हैक्टैयर में से रकबा 0.3480 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार पूर्वी दिशा में तथा खेत खसरा नंबर 256 रकबा 1.7159 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारकाप्रसाद जांगिड़ के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 236 रकबा 4.4758 हैक्टेयर में से रकबा 2.0639 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार दक्षिणी भाग में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मुतदाविया खेतायों मेंसे कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः इन प्रतिवादीगण का राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
5. बैंक के रहन खसरान् बैंक के रहन यथावत रहेंगें तथा संबंधित बैंक को सूचित हो। रहन होने की स्थिति में।
6. वाद में नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 28/02/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

अंतिम डिक्री व मु तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे की अदा करें। के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – को जारी की गई। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner